ऐक्सिस बैंक

बनाम

एसबीस ओर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 4379/2016)

अप्रैल 22, 2016

[कुरियन जोसेफ और रोहिंटन फली नरीमन, जे.जे.]

वित्तीय परिसंपतियों का प्रतिभूतिकरण और पुननिर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम] 2002 धारा 18 के तहत अपील योग्यता के आधार पर अपील पर विचार करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उधारकर्ता द्वारा आंशिक जमा जमा राशि वापस पाने का उधारकर्ता का अधिकार माना गया आंशिक जमा एक सुरक्षित संपत्ति नही है यह एक सुरक्षित ऋण भी नही है, क्योंकि उधारकर्ता या पीडित व्यक्ति ने सुरक्षित लेनदार के पक्ष में इस तरह के पूर्व जमा पर कोई सुरक्षा ब्याज नही बनाया है। अपील के निपटाने पर या तो योग्यता के आधार पर या निकासी पर या निष्फल हो जाने पर, उधारकर्ता द्वारा पूर्व जमा राशि की वापसी के लिए प्रार्थना पर, इसकी अनुमति दी जानी

चाहिए- तथ्यों पर, डीआरएटी के समक्ष जमा राशि प्रथम प्रत्यर्थी को वापस की जानी है- उधारकर्ता सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम 2002.

न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया:-

1.1 धारा के तहत वास्तविक अपील पर विचार किया गया है वित्तीय परिसम्पतियों के प्रतिभूतिकरण और पुननिर्माण के 18 और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन। कोई भी व्यक्ति सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत डीआरटी के आदेश से व्यथित 30 दिनों की अनुमत अवधि के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ अपील करने का हकदार है। किसी अपील को दाखिल करने के लिए एक शुल्क निर्धारित है टिब्यूनल द्वारा अपील पर विचार करने के लिए पीडित व्यक्ति को सुरक्षित लेनदारों द्वारा दावा किए गए ऋण की राशि का पचास प्रतिशत जमा करना होता है या डीआरटी द्वारा निर्धारित, जो भी कम हो। यह राशि न्यायाधिकरण के विवेक पर, उचित मामलो में दर्ज कारणो से ऋण के पच्चीस प्रतिशत तक कम की जा सकती है।(पैरा18] 19] [931-डी-ई] 932-बी-सी]

1.2 अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील केवल 920 की धारा 17 के तहत डीआरटी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ स्वीकार्य है। अधिनियम, धारा 17 के तहत, जांच का दायरा सुरक्षित संपत्तियों के

खिलाफ धारा 13 (4) के तहत उठाए गए कदमों तक सीमित है। अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में गुण-दोष के आधार पर अपील पर विचार करने की पूर्व शर्त के रूप में डीआरएटी के समक्ष आंशिक जमा एक सुरक्षित संपति नही है। यह एक सुरक्षित ऋण भी नही है क्योंकि उधारकर्ता या पीडित व्यक्ति ने सुरक्षित ऋणदाता के पक्ष में इस तरह के पूर्व-जमा पर कोई सुरक्षा ब्याज नही बनाया है। यदि ऐसा है तो अपील के निपटाने पर गुण-दोष के आधार पर या वापसी के आधार पर या निष्फल हो जाने पर यदि अपीलकर्ता पूर्व-जमा राशि की वापसी के लिए प्रार्थना करता है तो उसे अनुमति दी जानी चाहिए और पूर्व-जमा को अपीलकर्ता को वापस करना होगा, जब तक कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुरक्षित लेनदान के अनुरोध पर लेकिन जमाकर्ताओं की सहमति से उधारकर्ता की देनदारी के लिए पूर्व-जमा को पहले ही विनियोजित नही कर लिया हो या सहमति से समायोजित नही कर लिया हो बकाया ऐक्सिस बैंक बनाम एसबीए ओगेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य राशि की राशि, या यदि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 11 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(10) के तहत किसी भी कार्यवाही में पूर्व-जमा पर कोई कुर्की हे, या यदि किसी अन्य कार्यवाही में कानून को ज्ञात कोई कुर्की है। यह दलील कि बैंक के पास अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 171 के संदर्भ में सरफेसी अधिनियम की धारा 18 के तहत किए गए पूर्ण-जमा पर

ग्रहणाधिकार है को स्वीकार नही किया जा सकता है। पैरा 22,23, (934-बी-एच 935-ए)

1.3 अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 171 खाते के सामान्य शेष के लिए सुरक्षा के माध्यम से बैंक को जमा किए गए माल को अपने पास रखने का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील पर विचार करने के उद्देश्य से उधारकर्ता द्वारा किया गया पूर्व-जमा बैंक के पास नही बल्कि टिब्यूनल के पास है। यह बैंक के पास कोई जमानत नही है जैसा कि 1872 अधिनियम के धारा 148 के तहत प्रदान किया गया है । (पैरा 24) (1935-सी-डी)

1.4 पहले प्रतिवादी ने वास्तव में अपील वापस लेने की मांग की थी, क्योंकि अपील के गुण-दोष के आधार पर विचार के लिए आने तक अपीलकर्ता पहले ही सुरक्षित संपत्तियो के खिलाफ कार्यवाही कर चुका था। अपील के लंबित रहने के दौरान न तो विनियोग का कोई आदेश है और न ही पूर्व जमा राशि पर कोई कुर्की है। इसलिए, पहले प्रतिवादी द्वारा की गई जमा राशि पहले प्रतिवादी को वापस करने योग्य है। हालांकि विभिन्न कारणो से भी, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया जाता है। अतः अपील में कोई सार नही है। (पैरा 25, 26) (935-ई-एफ)

बाबू गणेशसिंह दीपनारायण बनाम भारत संघ एवं दूसरा एआईआर 2009 गुजरात। 98 मार्डिया केमिकल्स बनाम भारत संघ (2004) 4 एससीसी 311 2004(3) एससीआर 982 लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड बनाम असिस्टेंड कमिश्नर सेल्स टैक्स, कानपुर और अन्य एआईआर 1968 एससी 488 1968 एससीआर 505 संदर्भित

केस कानून संदर्भ

एआईआर 2009 गुजरात 98	करने के लिए भेजा	पेरा 6
2004 (3) एससीआर 982	करने के लिए भेजा	पैरा 17
1968 एससीआर 505	करने के लिए भेजा	पैरा 20

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 4379/2016

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के एलपीए संख्या 513/2015 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 01.04.2015 से

सी.यू.सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता, संजय भट्ट, दुष्यन्त कुमार, रॉबिन मजूमदार, एम.दत्ता, आशिष राणा, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

सुश्री प्रति रोंगटा, संजीव सार्वा, दिनेश एस.बदियार, प्रशांतसिंह, रामेश्वर प्रसाद गोयल, विपुल जय, सुश्री शैली दिनकर, विपिन त्रिपाठी, सलाहकार उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश कुरियन, जे. द्वारा पारित किया गया :-

1 अपील अनुमति स्वीकृत।

2. ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद डीआरएटी के रूप में संदर्भित) के समक्ष वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुननिर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद सरफेसी अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 18 के तहत अपील की जा सकती है। केवल तभी विचार किया जाएगा जब उधारकर्ता अधिनियम की धारा 17 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण (इसके बाद डीआरएटी के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित आदेश के अनुसार राशि का पचास प्रतिशत या उधारकर्ता से देय राशि का पचास प्रतिशत जमा करता है। जैसा कि सुरक्षित ऋणदाता द्वारा दावा किया गया है, जो भी कम है। अपीलीय न्यायाधिकरण राशि को घटाकर पच्चीस प्रतिशत तक कर सकता है। अपील के निपटारे पर ऐसी जमा राशि का क्या परिणाम होगा, यह इस मामले में विचारणीय प्रश्न है।

3. एक शुद्ध कानूनी मुद्दा होने के कारण, हमारे लिए तथ्यात्मक स्थिति के बारे में विस्तार से संदर्भित करना आवश्यक नहीं हो सकता है। पहला प्रतिवादी, उधारकर्ता होने के नाते और सुरक्षित ऋणदाता द्वारा उठाए गए कदमों से व्यथित होकर, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, अहमदाबाद के समक्ष 2010 का प्रतिभूतिकरण आवेदन संख्या 132 दायर किया। हालांकि, शुरूआत में एक अंतरिम राहत दी गई थी, लेकिन दिनांक 20.01.2011 के आदेश द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। इसलिए, पहले प्रतिवादी ने सरफेसी-अधिनियम की धारा 18 के तहत ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई का रूख किया। धारा 18 के तहत प्रावधान के संदर्भ में, पहले प्रतिवादी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष 50 लाख रूपये जमा किए। डीआरएटी के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, बिक्री को रद्द करते हुए, प्रतिभूतिकरण आवेदन को अंततः अहमदाबाद में ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष निपटाया गया। यह विचार करते हुये की अपील सफल नहीं हो पायेगी। पहले प्रतिवादी ने इसे वापस लेने की अनुमति मांगी और 50 लाख रूपये की जमा राशि भी वापस करने की मांग की। हालांकि इसे अपील के निपटाने के अधीन बनाते हुए अनुमति दी गई। चूंकि अपील स्वयं वापस ली जा रही थी, पहले प्रतिवादी ने रिट याचिका विशेष नागरिक आवेदन के माध्यम से अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय का रूख किया, इस अवलोकन से व्यथित होकर कि अपील

वापस लेना अपील के परिणाम के अधीन होगा। इसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 05.03.2015 के आदेश द्वारा निपटाया गया, उक्त शर्त को रद्द कर दिया गया और पहले प्रतिवादी को बिना शर्त राशि वापस लेने की अनुमति दी गई। व्यथित होकर, अपीलकर्ता बैंक ने एक अंतर न्यायालय अपील दायर की। उस अपील को डिवीजन बेंच के आदेश दिनांक 01.04.2015 द्वारा खारिज कर दिया गया था, और इस प्रकार व्यथित होकर बैंक इस न्यायालय के समक्ष अपील में आया है।

4. अपीलकर्ता बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी.यू.सिंह और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रशांत पंडित को सुना गया।

5. अपीलकर्ता बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि पहले प्रतिवादी को अपील पर विचार करने की पूर्व शर्त के रूप में उसके द्वारा की गई जमा राशि वापस पाने का अधिकार नही है। उक्त राशि को पहले प्रतिवादी के बकाए के विरूद्ध समायोजित किया जाना चाहिए जिसकी वास्तव में मात्रा निर्धारित की गई है और जिसके लिए धारा 13 वसूली चरणों की अनुमति दी गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता बैंक को सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करके संपूर्ण ऋण सुरक्षित करना है, और इसलिए, जमा राशि बैंक द्वारा विनियोजित

करने के लिए उत्तरदायी है। सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (10) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 11 का भी संदर्भ दिया गया है, जो इस प्रकार है।

"13(10) जहां सुरक्षित लेनदार का बकाया सुरक्षित संपतियों की बिक्री आय सेपूरी तरह संतुष्ट नही है, तो उधार लेने वाला शेष राशि की वसूली के लिए अधिकार क्षैत्र वाले ऋण वसूली न्यायाधिकरण या सक्षम न्यायालय को, जैसा भी मामला हो निर्धारित किया जा सकता है।"

"11. सुरक्षित ऋण की कमी की वसूली के लिए प्रक्रिया :-

(1) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (10) के अनुसार किसी भी सुरक्षित लेनदार द्वारा शेष राशि की वसूली के लिए एक आवेदन ऋण वसूली न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी या उसके एजेंट या विधिवत अधिकृत कानूनी व्यवसायी द्वारा इन नियमों के परिशिष्ट के रूप में संलग्न प्रपत्र उस बेंच के रजिस्टार को भेजा जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में उसका मामला आता है या ऋण वसूली रजिस्टार को संबोधित पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(2) बैंको और वित्तीय संस्थानो को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 के 51) के तहत बनाए गए ऋण वसूली न्यायाधिकरण प्रक्रिया नियम, 1993 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनो के साथ उप-नियम के तहत दायर किसी भी आवेदन पर लागू होंगे।

(3) उप-नियम (1) के तहत एक आवेदन ऋण वसूली न्यायाधिकरण प्रक्रिया नियम, 1993 के नियम 7 में दिए गए शुल्क के साथ संलग्न किया जाएगा।"

6. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि बैंक के पास भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 171 के तहत राशि पर ग्रहणाधिकार है। बाबू गणेश सिंह दीपनारायण बनाम भार संघ और अन्य AIR 2009 गुजरात 98 में गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय जो है यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि डिविजन बेच द्वारा आक्षेपित निर्णय में पालन किया गया है, जो वास्तविक कानूनी स्थिति को प्रतिबंधित नही करता है।

7. बाबू गणेश (सुप्रा) अनिवार्य पूर्व-जमा पर सरफेसी अधिनियम की धारा 18 के तहत दूसरे प्रावधान के दायरे में चुनौति से जुडा मामला था। प्रावधान को कायम रखते हुए, पैराग्राफ 5 और 6 में यह देखा गया है कि

यदि अपील खारिज हो जाती है, तो अपील पर विचार करने के लिए जमा की गई राशि वापस कर दी जाएगी। उद्वरण के लिए :-

> "5. अपील का अधिकार कानून का एक प्रावधान है। विधायिका उन शर्तो को लागू कर सकती है जिनके तहत इसका प्रयोग किया जाना है। ऐसा अधिकार बनाने वाले वैधानिक प्रावधान के बिना, पीडित व्यक्ति अपील करने का हकदार नही है। अधिकार प्रदान करते समय विधायिका अपील ऐसी शर्ते लगा सकती है जिन्हें वह उचित समझे। ऐसी शर्ते केवल अपील के अधिकार के प्रयोग को विनियमित करती है। किसी पक्ष द्वारा इसका दुरूपयोग नही किया जाता है, और अपील अंततः खारिज होने की स्थिति में जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई है उसे लागू करने में कोई कठिनाई नही होती है। ऐसी शर्त लगाना यह आवश्यक है ताकि निरर्थक अपीले दायर न की जा सकें। अंततः यदि अपील खारिज कर दी जाती है, तो पीडित पक्ष हमेशा जमा की गई राशि की वापसी की मांग कर सकता है और इसलिए वह किसी भी तरह से व्यथित नहीं है। इसके अलावा प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 18 (1) का तीसरा प्रावधान भी अपीलीय न्यायाधिकरण को, लिखित रूप

से दर्ज किये जाने वाले कारणो के आधार पर, दूसरे प्रावधान में निर्दिष्ट ऋण की राशि को 25 प्रतिशत से कम नही करने में सक्षम बनाता है। हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नही है कि प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 18 (1) के दूसरे और तीसरे प्रावधान में लगाई गई शर्ते कठिन प्रकृति की है, जिससे अपील का अधिकार भ्रामक हो जाता है। आर.वी. सक्सेना के मामले (सुप्रा) में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 18 (1) के दूसरे प्रावधान की वैधता को बरकरार रखा, जिससे हम पूरी तरह सहमत है।

6. हमें विधि में ऐसा कोई प्रावधान नही मिला है, जो सुरक्षित ऋणदाता को अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत अपील करने के लिए उधारकर्ता द्वारा जमा की गई राशि को समायोजित या उचित करने में सक्षम बनाता हो। अपील खारिज होने पर अपील दायर करने की पूर्व शर्त के रूप में जमा की गई राशि अपीलकर्ता को वापस कर दी जायेगी और इसलिए, वह किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त नही है। इसलिए, हमें याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए इस तर्क में कोई सार दृष्टिगत नहीं होता है। कि अधिनियम की धारा

(1) का दूसरा प्रावधान भेदभावपूर्ण है या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। याचिकाओं में कोई सार प्रकटित नहीं होता है। है और उन्हें खारिज कर दिया गया है"

8. इस प्रक्रम पर, सरफेसी अधिनियम की योजना का उल्लेख करना आवश्यक है। इस अधिनियम का उद्देश्य बैंको और वित्तीय संस्थानो द्वारा दिए गए ऋणों की आसान और तेज वसूली की सुविधा प्रदान करना था। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में विचारित सामान्य पुनप्राप्ति तंत्र को पर्याप्त नही माना गया था। इस प्रकार, बैंको और वित्तीय संस्थानो को देय ऋणो की वसूली अधिनियम, 1993 को वसूली के लिए एक विशेष और त्वरित तंत्र के लिए पेश किया गया था। लगभग एक दशक के अनुभव से साबित हुआ कि पुनप्राप्ति प्रक्रिया इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नही कर रही थी और इसलिए, वित्तीय परिसपंतियो के प्रतिभूतिकरण और पुननिर्माण को विनियमित करने और सुरक्षा हित को लागू करने के लिए सरफेसी अधिनियम लागू किया गया था। अधिनियम में एक ऐसी प्रणाली शामिल है जिसके तहत ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपति (एनपीए) घोषित किए जाने के बाद उधारकर्ता की सुरक्षित संपतियो के खिलाफ सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए सीधी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

9. उधारकर्ता को धारा 2(1) (एफ) के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है

> "2(1) (एफ) उधारकर्ता का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है या जिसने किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के लिए सुरक्षा के रूप में कोई गांरटी दी है या कोई बंधक या प्रतिज्ञा बनाई है और इसमें वह व्यक्ति शामिल है जो किसी प्रतिभूतिकरण कम्पनी या पुननिर्माण कम्पनी द्वारा ऐसी वित्तीय सहायता के संबंध में किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के किसी भी अधिकार या हित के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप उधारकर्ता बन जाता है"

10. धारा 2(1) (जेडसी) के तहत सुरक्षित संपति को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

> "2(1) (जेडसी) सुरक्षित संपति का अर्थ वह संपति है जिस पर सुरक्षा हित बनाया गया है"

11. धारा 2(1) (जेडडी) सुरक्षित ऋणदाता की परिभाषा प्रदान करती है जो इस प्रकार है-

"2(1) (जेडडी) सुरक्षित लेनदार का अर्थ है कोई बैंक या वित्तीय संस्थान या कोई संघ या बैंको का समूह या वित्तीय संस्थान और इसमें शामिल है-

1. किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टी या

2. प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी, चाहे वह कार्य कर रही हो या ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण के लिए स्थापित ट्रस्ट का प्रबंधन कर रही हो, जैसा भी मामला हो, या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान की ओर से प्रतिभूतियां रखने वाला कोई अन्य ट्रस्टी, जिसके पक्ष में किसी भी वित्तीय सहायता के उधारकर्ता द्वारा उचित पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा हित बनाया जाता है"

12. धारा 2(1) (जेडई) सुरक्षित ऋण को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है ऐसा ऋण जो किसी सुरक्षा हित द्वारा सुरक्षित है।

13. "सुरक्षा हित को धारा 2(1) (जेडएफ) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है,

"(जेडएफ) सुरक्षा हित का अर्थ है अधिकार, स्वामित्व और हित पक्ष में सृजित संपति पर किसी भी प्रकार का किसी भी सुरक्षित लेनदार का और इसमें कोई भी बंधक शामिल है, चार्ज हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट इनके अलावा अन्य धारा 31 में निर्दिष्ट,"

14. अधिनियम की धारा 13 के तहत सुरक्षा हित को लागू करने की व्यवस्था पर विचार किया गया है। धारा 13 की उपधारा (1)(2)(3)(3 ए) और (4) वर्तमान मामले के प्रयोजनो के लिए प्रासंगिक है।

"13 सुरक्षा हित का प्रवर्तन

(1) संपति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 69 या धारा 69 ए में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बनाए गए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऋणदाता किसी भी सुरक्षा हित को अदालत या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना, लागू किया जा सकता है।

(2) जहां कोई उधारकर्ता, जो एक सुरक्षा समझौते के तहत एक सुरक्षित लेनदार के प्रति दायित्व के अधीन है, सुरक्षित ऋण या उसकी किसी किस्त के पुनर्भुगतान में कोई चूक

करता है, और ऐसे ऋण के संबंध में उसके खाते को सुरक्षित लेनदार द्वारा गैर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है निष्पादित परिसंपति, तब, सुरक्षित ऋणदाता उधारकर्ता को नोटिस की तारीख से साठ दिनों के भीतर सुरक्षित ऋणदाता के प्रति अपनी देनदारियो को पूरी तरह से निर्वहन करने के लिए लिखित नोटिस द्वारा मांग कर सकता है जिसमें विफल रहने पर सुरक्षित ऋणदाता सभी या किसी एक का प्रयोग करने का हकदार होगा। उपधार (4) के तहत अधिकार।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट नोटिस में उधारकर्ता द्वारा देय राशि और उधारकर्ता द्वारा सुरक्षित ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में सुरक्षित ऋणदाता द्वारा लागू नही की जाने वाली सुरक्षित संपत्तियो का विवरण दिया जाएगा।

(3ए) यदि, उप धारा (2) के तहत नोटिस प्राप्त होने पर, उधारकर्ता कोई अभ्यावेदन करता है या कोई आपत्ति उठाता है तो सुरक्षित ऋणदाता ऐसे अभ्यावेदन या आपत्ति पर विचार करेगा और यदि सुरक्षित ऋणदाता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा अभ्यावेदन आपत्ति स्वीकार्य या तर्क संगत नही है, तो वह ऐसे अभ्यावेदन या आपत्ति की प्राप्ति

के एक सप्ताह के भीतर उधारकर्ता को अभ्यावेदन या आपत्ति स्वीकार न करने के कारणों के बारे में सूचित करेगा।

परन्तुक कि इस प्रकार संप्रेषित किए गए कारण या कारणों के संप्रेषण के चरण में सुरक्षित ऋणदाता की संभावित कार्यवाही उधारकर्ता को धारा 17 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण या धारा 17 ए के तहत जिला न्यायाधीश की अदालत में आवेदन करने को कोई अधिकार नही देगा।

(4) यदि उधारकर्ता उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी देनदारी का पूरा निर्वहन करने में विफल रहता है, तो सुरक्षित ऋणदाता अपने सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक उपायों का सहारा ले सकता है, अर्थात्

(ए) उधारकर्ता की सुरक्षित संपतियो पर कब्जा कर ले जिसमें पट्टे, समनुदेशन या सुरक्षित परिसंपति की प्राप्ति के लिए बिक्री के माध्यम से स्थानानंतरण का अधिकार शामिल है

(बी) उधारकर्ता के व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेना जिसमें पट्टे, समनुदेशन या सुरक्षित संपति की प्राप्ति

के लिए बिक्री के माध्यम से स्थानांतरण का अधिकार शामिल है

परन्तुक कि पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार केवल तभी प्रयोग किया जाएगा जहां उधारकर्ता के व्यवसाय का बडा हिस्सा ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में रखा जाता है। परन्तुक कि जहां व्यवसाय का संपूर्ण प्रबंधन हो या व्यवसाय का कोई भाग पृथक्करणीय, सुरक्षित ऋणदाता है उधारकर्ता के ऐसे व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेगा जो ऋण की सुरक्षा से संबंधित है।

(सी) किसी भी व्यक्ति को इसके बाद प्रबंधक के रूप में संदर्भित नियुक्त करें, सुरक्षित संपतियो के कब्जे का प्रबंधन करने के लिए जिसे सुरक्षित ऋणदाता ने अपने अधिकार में ले लिया है

(डी) किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा किसी भी व्यक्ति से, जिसने उधारकर्ता से कोई सुरक्षित संपति अर्जित की है और जिससे कोई पैसा बकाया है या उधारकर्ता के कारण हो

सकता है, सुरक्षित लेनदार को भुगतान करने की मांग कर सकता है। यह धन सुरक्षित ऋण चुकाने के लिए प्र्याप्त है।"

15. उपरोक्त प्रावधानो के अनुसार सरफेसी अधिनियम की योजना के अन्तर्गत, एक सुरक्षित ऋणदाता सुरक्षित परिसंपतियो के खिलाफ कार्यवाही करके अपने सुरक्षित ऋण की वसूली के उद्देश्य से उधारकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने का हकदार है, यदि उधारकर्ता ऐसा करने में असफल रहता है अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार जारी नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन करें। अधिनियम की धारा 13(2) का यह आदेश है कि धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस में जी का विवरण होना चाहिए उधारकर्ता द्वारा देय राशि और धारा 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि का भुगतान न करने की स्थिति में सुरक्षित लेनदार द्वारा लागू नही की जाने वाली सुरक्षित संपति भी। इस प्रकार, सुरक्षित ऋणदाता धारा 13(2) के तहत नोटिस में उल्लखित सुरक्षित संपतियो के खिलाफ ही आगे बढने का अधिकारी है। हालांकि, अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार, सुरक्षित ऋणदाता गारंटरो के खिलाफ पहले कार्यवाही करने या गिरवी रखी गई संपत्तियों को बेचने के लिए भी स्वतंत्र है। उद्वरण के लिए :-

"13(11) इस धारा के तहत या इसके द्वारा सुरक्षित ऋणदाता को प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सुरक्षित

ऋणदाता गारंटरो के विरूद्ध आगे बढने या खंड (ए) में निर्दिष्ट कोई भी उपाय किए बिना गिरवी रखी गई संपतियों को बेचने का हकदार होगा। इस अधिनियम के तहत सुरक्षित संपत्तियो के संबंध में उपधारा (4) के (डी) तक।"

16. अधिनियम की धारा 17 अधिनियम की धारा 13 के तहत सुरक्षित ऋणदाता द्वारा उठाए गए उपायो के संबंध में डीआरटी में अपील करने का अधिकार प्रदान करती है। आसान संदर्भ के लिए, अधिनियम की धारा 17 उद्धृत करे।

"17. अपील करने का अधिकार (1) कोई भी व्यक्ति (उधारकर्ता सहित) इस अध्याय के तहत सुरक्षित लेनदार या उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा उठाए गए धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी उपाय से व्यथित हो सकता है। इस तरह के उपाय किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिनो के भीतर मामले में क्षैत्राधिकार रखने वाले ऋण वसूली न्यायाधिकरण को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करे।

परन्तुक कि उधारकर्ता और उधारकर्ता के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन करने के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण संदेह को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि सुरक्षित ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को उसके अभ्यावेदन या आपत्ति को स्वीकार नही करने या सुरक्षित ऋणदाता की संभावित कार्यवाही के कारणो का संचार, कारणों के संचार के चरण में किया जाता है। उधारकर्ता व्यक्ति (उधारकर्ता सहित) को उप-धारा (1) के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण में आवेदन करने का अधिकार नही देगा।

(2) ऋण वसूली न्यायाधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि सुरक्षा को लागू करने के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा उठाए गए धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई भी उपाय लागू है या नहीं

इस अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के अनुसार उसके तहत,

(3) यदि, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई भी उपाय, सुरक्षित ऋणदाता इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप नही है और ऋणदाता को व्यवसाय के प्रबंधन की बहाली या ऋणदाता को सुरक्षित संपत्तियों के कब्जे की बहाली की आवश्यकता होती है, यह आदेश द्वारा घोषित कर सकता है धारा 13 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी एक या अधिक उपायों का सहारा लेना सुरक्षित लेनदारों द्वारा अमान्य माना जाता है और उधारकर्ता को सुरक्षित परिसंपतियों का कब्जा बहाल करना या उधारकर्ता को व्यवसाय का प्रबंधन बहाल करना, जैसा कि मामला हो सकता है, और धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत सुरक्षित ऋणदाता द्वारा लिए गए किसी भी वसूली अधिकार के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह उचित और आवश्यक समझे।

(4) यदि, ऋण वसूली न्यायाधिकरण धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत एक सुरक्षित लेनदार द्वारा लिया गया वसूली

अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार घोषित करता है तो, किसी भी बात के बावजूद फिलहाल लागू अन्य कानून के तहत, सुरक्षित ऋणदाता अपने सुरक्षित ऋण की वसूली के लिए धारा 13 की उपधारा (4) के तहत निर्दिष्ट एक या अधिक उपायों का वसूली अधिकार लेने का हकदार होगा।

(5) उपधारा (1) के तहत किए गए किसी भी आवेदन पर कार्यवाही की जाएगी ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा यथाशीघ्र और ऐसे आवेदन की तारीख से साठ दिनों के भीतर निपटाराः परन्तुक कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण, समय-समय पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से उक्त अवधि को बढा सकता है, ताकि, उप-धारा (1) के अन्तर्गत ऐसे आवेदन करने की तारीख, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पास लंबित आवेदन की कुल अवधि चार महीने से अधिक न हो।

(6) यदि उप-धारा (5) में निर्दिष्ट चार महीने की अवधि के भीतर ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन का निस्तारण नही किया जाता है, तो आवेदन का कोई भी पक्ष

निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकता है। अपीलीय न्यायाधिकरण को निर्देश देने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित आवेदन के शीघ्र निपटारे के लिए और अपीलीय न्यायाधिकरण, ऐसे आवेदन पर, ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा लंबित आवेदन के शीघ्र निपटारे के लिए आदेश दे सकता है।

(7) इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोडकर, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जहां तक संभव हो, बैंको और वित्तीय संस्थानो को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 और बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत आवेदन का निपटारा करेगा।"

17. यद्यपि अधिनियम की धारा 17 का शीर्षक अपील करने का अधिकार है, लेकिन पीडित व्यक्ति को डीआरटी में आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई है और पक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य पेश करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार, यह वास्तव में सुरक्षित संपत्तियों के विरूद्ध कार्यवाही में उधारकर्ता की बकाया राशि की वसूली के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा उठाए गए उपायों के संबंध में पीडित व्यक्तियों की शिकायतो पर

डीआरटी के समक्ष एक परीक्षण है। (मर्डिया केमिकल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2004) 4 scc 311 देखें)-

18. वास्तविक अपील पर सरफेसी अधिनियम की धारा 18 के तहत विचार किया जाता है। प्रावधान इस प्रकार हैः

"18. अपीलीय न्यायाधीश में अपील (1) धारा 17 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।

परन्तुक कि उधारकर्ता द्वारा या उधारकर्ता के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा अपील दायर करने के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए जा सकते हैः

परन्तुक कि किसी भी अपील पर तब तक विचार नही किया जाएगा जब तक कि उधारकर्ता ने सुरक्षित लेनदारों द्वारा दावा किए गए या ऋण वसूली टिब्यूनल द्वारा निर्धारित, जो भी कम हो, उसके कारण देय ऋण की राशि का पचास प्रतिशत अपीलीय न्यायाधिकरण के पास जमा नही करवाया गया हैः

परन्तुक यह भी कि अपील न्यायाधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, दूसरे परंतुक में उल्लिखित ऋण की राशि को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक कम कर सकता है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोडकर, अपीलीय न्यायाधिकरण, जहां तक संभव हो, बैंको और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार अपील का निपटारा करेगा।"

19. सरफेसी अधिनियम की धारा बी 17 के तहत डीआरटी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति 30 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ अपील करने का हकदार है। किसी अपील को चुनने के लिए, एक शुल्क निर्धारित है, जबकि टिब्यूनल द्वारा अपील पर मनोरंजर करने के लिए, पीडित व्यक्ति को सुरक्षित लेनदारो द्वारा दावा किए गए ऋण की राशि का पचास प्रतिशत जमा करना होता है या डीआरटी द्वारा निर्धारित, जो भी कम हो। यह राशि, न्यायाधिकरण के विवेक पर, उचित मामलों में, दर्ज कारणों से, ऋण के पच्चीस प्रतिशत तक कम की जा सकती है।

20. इस न्यायालय के द्वारा, लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त बिक्री कर, कानपुर और अन्य AIR 1968 एस सी 488 में उत्तरप्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1948 के एक समान प्रावधान के विषय में ग्रहण/विचार करना शब्द पर विचार किया था, जिसके अन्तर्गत यह निर्धारित किया गया कि किसी मामले को विचारार्थ सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने से तात्प्रयित है। प्रासंगिक विवेचना पैराग्राफ 9 और 10 पर उपलब्ध हैः

> "9. विचार/ग्रहण शब्द की व्याख्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक डिबिजनल बेंच द्वारा उस समय के बिंदु के रूप में की गई है जिस पर बिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन पर अदालत द्वारा सुनवाई की जाती है। यह कहा गया है कि अभिव्यक्ति विचार/ग्रहण का तात्पर्य आवेदन दाखिल करने या अदालत द्वारा आवेदन स्वीकार करने के सामान नही है। धूमचंद जैन बनाम चमनलाल गुप्ता और अन्य के मामले में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था। एआईआर 1962 सभी। 543 जिसमें विद्वान मुख्य न्यायाधीश देसाई और श्री न्यायमूर्ति द्विवेदी जे. द्वारा यह देखा गया है कि विचार/ग्रहण शब्द अपने प्रयोग में विचार के लिए स्वीकार करना का अर्थ रखता है

और इसलिए जब अदालत जमा या सुरक्षा द्वारा समर्थित किसी आवेदन को लेने से इन्कार नहीं कर सकती है, तो वह न्यायिक रूप से उस पर विचार करने से इन्कार नही कर सकती है। उसी न्यायालय के एकलपीठ के फैसले में बावन राम और अन्य में रिपोर्ट की गई। वी.कुनी बिहारीलाल ए.आई.आर 1961 सभी 42 हममे से एक भार्गव जे को उसी नियम पर विचार करना था। वहां सीमा अवधि के भीतर जमा नहीं किया गया था और सवाल उठा था कि क्या न्यायालय ऐसे आवेदन पर विचार सकती है या नही। यह निर्णय लिया गया कि आवेदन पर विचार नही किया जा सकता क्योंकि प्रावधान (बी) ने न्यायालय को तब तक आपत्ति पर विचार करने से रोक दिया जब तक कि निर्धारित समय के अन्तर्गत राशि जमा करने या सुरक्षा जमा करने की आवश्यकता का अनुपालन नही किया गया। उस मामले में विचार/ग्रहण शब्द की व्याख्या नही की गई है, लेकिन यह माना जाता है कि न्यायालय कानून द्वारा अनुमत समय के भीतर जमा राशि के अभाव में आवेदन पर विचार करने के लिए आगे नही बढ सकता है। यह मामला इस तथ्य पर आधारित था कि जमा समय से पहले

किया गया था। हाजी रहीम वक्स एंड संस एंड अन्य में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक और मामला सामने आया है। वी.फर्म समीउल्लाह एंड संस ए.आई.आर 1963 सभी 326 मुख्य न्यायाधीश देसाई और श्री न्यायमूर्ति एस.डी.सिंह की खंडपीठ ने आदेश 21 नियम 90 में उपबंधित शब्दों की विवेचना करते हुये कथन किया कि विचार/ग्रहण करना शब्द का अर्थ प्राप्त करना अथवा स्वीकार करना नहीं है अपितु किसी मामले को गुणावगुण के आधार पर अभिनिर्धारित करना है।

10. हमारी राय में इन मामलो में विचार/ग्रहण शब्द का सही दृष्टिकोण लिया गया है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 9 के परन्तुक में न्यायालय को निर्देशित प्रावधान के अनुसार न्यायालय किसी अपील को तब तक सुनवाई के लिए ग्रहण अथवा विचार में नहीं लेगा जब तक अपील के साथ स्वीकृत कर के भुगतान के सबूत को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, यह स्थिति न्यायालय के द्वारा मामले को प्रथम प्रक्रम पर सुनवाई के दौरान विचार किये जाने योग्य है। जिस फैसले पर सहायक आयुक्त ने भरोसा किया, उसमें विद्वान मुख्य न्यायाधीश (देसाई सी.जे.) का मानना है

कि शब्दो के साथ से पता चलता है कि अपील के ज्ञापन के साथ कुछ ठोस होना चाहिए। यदि अपील के ज्ञापन के साथ संतेषजनक सबूत होना था, तो उसे किसी ठोस चीज के आकार में होना चाहिए, क्योकि कोई भी अमूर्त चीज अपील के ज्ञापन जैसे दस्तावेज के साथ नही आ सकती। हमारी राय मे, अपील को अपील के ज्ञापन के बराबर बनाना उचित नही है। यहा तक कि सिविल प्रक्रिया संहिता के ओ. 41 के तहत भी, अभिव्यक्ति अपील और अपील का ज्ञापन का उपयोग दो अलग-अलग चीजों को अलग करने के लिए किया जाता है। व्हार्टन के कानून लेक्सिकन में, ''अपील'' शब्द को एक अधीनस्थ न्यायालय के फैसले की उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक जांच के रूप में परिभाषित किया गया है। अपील न्यायिक परीक्षा है, अपील के ज्ञापन में वे आधार शामिल है जिन पर न्यायिक परीक्षा आमंत्रित की जाती है। परिसीमा के प्रयोजनो के लिए और न्यायालय के नियमों के प्रयोजनो के लिए यह आवश्यक है कि एक लिखित ज्ञापन अपील दायर की जाएगी जब परंतुक अपील के मनोरंजन की बात करता है, इसका मतलब है कि दायर की गई अपील को तब तक विचार के लिए स्वीकार नही

किया जाएगा जब तक कि स्वीकृत कर जमा करने का संतोषजनक सबूत उपलब्ध न हो।"

21. हम इस तथ्य से भी अवगत है कि वैधानिक अपील प्रदान करते समय ऐसी पूर्व शर्त कई कानूनों में मौजूद है, जैसे आयकर अधिनियम 1961 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 मोटरयान अधिनियम 1988,आदि। हालांकि, उन कानूनों के विपरीत, सरफेसी अधिनियम का उद्देश्य अलग है, यह केवल बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए है, ओर अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित ऋणदाता को सुरक्षित सम्पति के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अग्रसर होने की अनुज्ञा प्रदान करती है। निःसन्देह, सुरक्षित लेनदार गारण्टर एवं गिरवी रखी गई सम्पतियों के विरूद्व कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है, धारा 13(4) में उपबंधित चरणों के होते हुये भी एवं धारा 13(2)में संदर्भित एवं उल्लेखित सुरक्षित सम्पति की सम्पूर्ण वसूली से सम्बन्धित कार्यवाही को पूर्ण किये बिना यह कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन सम्बन्धित गारण्टर यदि व्यथित है तो वह धारा 17 के प्रावधान के अन्तर्गत डीआरटी में मामला दाखिल करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, ऐसा अधिकार धारा 13(4) में उपबंधित व सम्बन्धित व्यक्तियों तक ही सुरक्षित सम्पतियों की वसूली की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निषेधित है।

22. अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील केवल अधिनियम की धारा 17 के तहत डीआरटी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ स्वीकार्य है। धारा 17 के तहत, जांच का दायरा सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ धारा 13 (4) के तहत उठाए गए कदमों तक सिमित है। अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में गुण-दोष के आधार पर अपील पर विचार करने की पूर्व शर्त के रूप में डीआरएटी के समक्ष आंशिक जमा, एक सुरक्षित संपत्ति नही है। यह एक सुरक्षित ऋण भी नही है, क्योकि उधारकर्ता या पीडित व्यक्ति ने सुरक्षित ऋणदाता के पक्ष में इस तरह के पूर्व-जमा पर कोई सुरक्षा ब्याज नहीं बनाया है। यदि ऐसा है, तो अपील के निपटारे पर, गुण-दोष के आधार पर या वापसी के आधार पर, या निष्फल हो जाने पर, यदि अपीलकर्ता पूर्व-जमा राशि की वापसी के लिए प्रार्थना करता है, तो उसे अनुमति दी जानी चाहिए और पूर्व-जमा को अपीलकर्ता को वापस करना होगा, जब तक कि अपीलीय न्यायाधिकरण, सुरक्षित लेनदार के अनुरोध पर लेकिन जमाकर्ताओं की सहमति से, पहले से ही उधारकर्ता की देनदारी के लिए पूर्व-जमा को विनियोजित नही कर चुका था, या सहमति के साथ, बकाया राशि के लिए राशि को समायोजित किया जाए, या यदि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 11 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (10) के तहत किसी भी कार्यवाही में पूर्व-जमा पर कोई कुर्की है, या यदि कानून के ध्यान में किसी भी अन्य कार्यवाही में कोई कुर्की हो।

23. हम बैंक के इस तर्क से भी सहमत नही हो पा रहे है भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 171 के संदर्भ में सरफेसी अधिनियम की धारा 18 के तहत किए गए पूर्व-जमा पर एक ग्रहणाधिकार है। सामान्य ग्रहणाधिकार पर भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 171 एक अलग संदर्भ में है-

> "171 बैंकर्स, फैक्टर्स, व्हार्फिंगर्स, वकीलो और पॉलिसी-दलालो का सामन्य ग्रहणाधिकार। बैंकर्स, फैक्टर्स, व्हार्फिंगर्स, उच्च न्यायालय के वकील और पॉलिसी ब्रोकर्स इसके विपरीत अनुबंध की अनुपस्थिति में, सुरक्षा के रूप में रख सकते है खाते के सामान्य शेष के लिए, उन्हें जमा किया गया कोई भी माल, लेकिन किसी भी अन्य व्यक्ति को ऐसे शेष के लिए सुरक्षा के रूप में, उन्हें जमा किए गए माल को बनाए रखने का अधिकार नही है, जब तक कि इस आशय का कोई स्पष्ट अनुबंध न हो।"

24. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 171 खाते के सामान्य शेष के लिए सुरक्षा के माध्यम से बैंक को जमा किए गए माल को अपने पास रखने का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील पर विचार करने के उद्देश्य से उधारकर्ता द्वारा किया गया पूर्व-

जमा बैंक के पास नही बल्कि टिब्यूनल के पास है। जैसा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 148 के तहत प्रदान किया गया है, यह बैंक के पास जमानत पर नही हे।वैचारिक रूप से, यह जमाकर्ता के लिए उपलब्ध एक तर्क होना चाहिए, क्योकि उद्देश्य पूरा होने के बाद जमानत पर दिया गया माल वापस किया जाना है या अन्यथा निपटारा किया जाना है। जमानतदार के निर्देशानुसार पूरा किया गया।

25. हमारे सामने आए मामले में, प्रथम प्रत्यर्थी ने वास्तव में अपील वापस लेने की मांग की थी, क्योंकि जब अपील गुण-दोष के आधार पर विचार के लिए आई, तब तक अपीलकर्ता पहले ही सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर चुका था। अपील के लंबित रहने के दौरान न तो विनोयोग का कोई आदेश है और न ही पूर्व जमा राशि पर कोई कुर्की है। इसलिए, प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दी गई जमा राशि प्रथम प्रत्यर्थी वापस करने योग्य है।

26. हालांकि विभिन्न कारणों से भी, हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन करते है। अतः अपील में कोई सार नही हे। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

27. यहां हम यह स्पष्ट विवेचना करते है कि यह अपील, अपीलकर्ता को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (10) सपठित नियम 11

सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम 2002 में समुचित कार्यवाही करने के उसके उपलब्ध अधिकार को प्रभावित किये बिना/प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खारिज की गई है।

28. लागत के संबंध में कोई आदेश नही होगा।

निधि जैन अपील खारिज

नोट- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजकुमार शर्मा, जिला न्यायाधीश संवर्ग द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।